न्यायालय– ग्राम न्यायालय नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं, (राज0)

पीठासीन अधिकारी	–	**सतीश फानिन, आर0जे0एस0**
फौजदारी विविध प्रा0 पत्र संख्या	–	**242/2023**
सीआईएस नंबर	–	**क्रिमीनल मिसलेंनियस/242/2023**
सीएनआर नंबर	–	**RJJH140004722023**

टीना पत्नी धर्मपाल, पुत्री श्री लूणाराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी गिरधरपुरा, शाहपुरा पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं। हाल निवासी ग्राम निवाई, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

.....प्रार्थीया

बनाम

धर्मपाल पुत्र श्री हरफूल, उम्र 25 वर्ष, निवासी गिरधरपुरा, शाहपुरा पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

.....अप्रार्थी

आदेश अन्तर्गत धारा 125 सीआरपीसी वास्ते निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु।

उपस्थितः–

01. श्री आदित्येंद्र डाबला व श्री श्याम सुंदर सैनी – विद्वान अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थीया।
02. अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 25.05.2026 से एकपक्षीय कार्यवाही है।

:: आदेश :: **दिनांकः– 17.07.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 सीआरपीसी बाबत भरण पोषण विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 21.03.2021 को हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार के संपन्न हुआ था। प्रार्थीया की बहन खुशबू का विवाह अप्रार्थी के भाई ओजेश के साथ संपन्न हुआ था। प्रार्थीया व उसकी बहन के विवाह में उसके माता–पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान–दहेज दिया था। प्रार्थीया जब अपने ससुराल पहुंची तो अप्रार्थी व प्रार्थीया के ससुर हरफुल, सास मनीषा देवी ने ताने देने शुरू कर दिया कि प्रार्थीया के परिवारवालों ने उसे दहेज में गाड़ी नहीं दी। कचौले में भी एक लाख रूपये ही दिए थे कम से कम पांच लाख रूपये देने थे। शादी के बाद से अप्रार्थी व उसके परिवार वाले प्रार्थीया को दहेज के लिए यातनांए दे रहे हैं। प्रार्थीया जब अपने पीहर फेरमोड़ा की रस्म के लिए गयी तो उसने सारी बात अपने माता–पिता को बता दी, परंतु प्रार्थीया के माता–पिता ने उसे समझाकर वापस भेज दिया। उक्त बात का

पता अप्रार्थी को लगने पर उसने प्रार्थीया के साथ लड़ाई–झगड़ा किया। उसके बाद प्रार्थीया व उसकी बहन के साथ उसके ससुरालवाले दहेज के लिए हर दिन लड़ाई करते थे। इसके पश्चात् प्रार्थीया व उसकी बहन को उसके सास–ससुर ने अपने पिता से पांच लाख रूपये व एक गाड़ी लाने की मांग की। प्रार्थीया द्वारा समस्त बातें अपने पीहरवालों को बताने पर उन्होंने कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थीया के माता–पिता ने अप्रार्थी व उसके परिवारवालों से बातचीत करके समझाइश की तथा दहेज की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, परंतु प्रार्थीया के ससुरालवाले और अधिक नाराज हो गये और प्रार्थीया व उसकी बहन के साथ दहेज की बात को लेकर मारपीट करने लगे। प्रार्थीया व उसकी बहन अपने दांपत्य जीवन को बचाने के लिए क्रूरतापूर्ण व्यवहार सहन करती रही। दिनांक 26.06.2021 को अप्रार्थी व उसके माता–पिता ने प्रार्थीया व उसकी बहन के साथ भयंकर मारपीट की तथा उनका समस्त स्त्रीधन छीनकर उनको घर से निकाल दिया तब से प्रार्थीया व उसकी बहन अपने पिता के घर रह रही हैं। प्रार्थीया व उसकी बहन को मारपीट कर घर से निकाले जाने के बाद प्रार्थीया की बहन ने संयुक्त रूप से पुलिस थाना नवलगढ़ में अप्रार्थी व उसके परिवारजन के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 303/2023 अंतर्गत धारा 498ए, 406 आईपीसी में दर्ज करवायी थी। प्रार्थीया के पास आय का कोई साधन नहीं है, ना ही वह कोई हुनर जानती है जिससे वह आय अर्जित कर सके। अप्रार्थी वर्तमान में कोचिंगों के अध्यापन का कार्य करके मासिक 50,000/– रूपये आय अर्जित करता है। अप्रार्थी की ग्राम गिरधरपुरा में पैतृक कृषि भूमि है जिससे वह मासिक 20,000/– रूपये आय प्राप्त करता है। अंत में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को अप्रार्थी से 20,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

2. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेशकर कर मूल रूप से कथन किए हैं कि अप्रार्थी ने प्रार्थीया से शादी में किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। प्रार्थीया ने शादी के दिन से ही उसके व उसके परिवारवालों के साथ लड़ाई–झगड़ा करना शुरू कर दिया था। प्रार्थीया ने उससे परिवार से अलग नये मकान बनाकर रहने की डिमांड की थी। अप्रार्थी ने प्रार्थीया के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है। प्रार्थीया पढ़ी–लिखी है। प्रार्थीया ने स्वयं का रोजगार कर रखा है तथा टयूशन में बच्चों को अध्ययन करवाती है जिससे वह अपना भरण–पोषण स्वयं करने में सक्षम है। अप्रार्थी के साथ आय का कोई साधन नहीं है। वह खुली मजदूरी करके अपना व अपने घरवालों का भरण–पोषण करता है, ना ही उसके पास कोई कृषि भूमि है। अंत में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य प्रार्थीया स्वयं टीना एडब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुई है। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उसकी ओर से साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर साक्ष्य अप्रार्थी बंद की गयी।

4. अप्रार्थी धर्मपाल जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ना तो स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और ना ही अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 25.25.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस अंतिम एकपक्षीय सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीया का अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होने, अप्रार्थी का मासिक कमाने, भरण पोषण करने में उपेक्षा करने, अप्रार्थी व उसके परिजनों द्वारा प्रार्थीया को कम दहेज लाने का ताना देकर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित व परेशान करने, उसे घर से निकाल देने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भरण पोषण बाबत 20,000/–रूपये मासिक दिलवाये जाने का निवेदन किया।

6. सुना गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु है कि **''क्या प्रार्थीया अप्रार्थी से धारा 125 द.प्र.सं. के तहत स्वयं के भरण पोषण हेतु राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?''**

8. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जावे तो प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवम् जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनों के आधार पर प्रार्थिया के साथ अप्रार्थी का हिन्दू विधि से विवाह सम्पन्न होने का तथ्य निर्विवादित है। इसी प्रकार पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर प्रार्थीया टीना व अप्रार्थी धर्मपाल दोनों का वर्तमान में पृथक्–पृथक् रहने का तथ्य भी निर्विवाद रूप से साबित है। प्रार्थीया की ओर से अपने पति से अलग रहने का कारण यह बताया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट की गयी थी तथा घर से बाहर निकाल दिया। उक्त बिंदू के संबंध में प्रार्थीया टीना न्यायालय में एडब्ल्यू 01 के रूप में स्वयं परीक्षित हुई हैं। प्रार्थीया ने अपनी मुख्य परीक्षा में सारतः अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को संक्षिप्त में दौहराया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं तथा ना ही प्रार्थीया से कोई प्रतिपरीक्षण किया है। प्रार्थीया के बयानों से ऐसा कोई खंडन प्रकट नहीं हुआ है जिससे उसका अप्रार्थी से पृथक रहना युक्तियुक्त होना ना प्रकट आता हो।

9.1 जहां तक प्रार्थीया टीना की आय का प्रश्न है तो उक्त बिंदू पर प्रार्थीया द्वारा यह कथन किए गए हैं कि वह किसी प्रकार का कोई हुनर नहीं जानती है तथा अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। प्रार्थीया अध्यापन करती है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीया द्वारा बच्चों को टयूशन करवाने का कार्य किए जाने का कथन अवश्य किया है, परंतु उक्त कथनों के समर्थन में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसी स्थिति में स्थापित होता है कि प्रार्थीया अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है।

9.2 जहां तक अप्रार्थी के भरण–पोषण करने का प्रश्न है उस संबंध में प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी धर्मपाल विभिन्न कोचिंगों में अध्यापन करवाकर मासिक पचास हजार रूपये कमाता है। उक्त कथन के संबंध में प्रार्थीया की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अपनी पत्नी के भरण पोषण का नैतिक व विधिक दायित्व है अप्रार्थी का है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Shamima Farooqui vs Shahid Khan AIR 2015 SC 2025** से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि,

"If the husband is healthy, able bodied and is in a position to support himself, he is under the legal obligation to support his wife, for wife's right to receive maintenance under Section 125 CrPC, unless disqualified, is an absolute right."

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के मार्गदर्शन अप्रार्थी द्वारा आय अर्जित करते हुये सक्षम एवं पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होते हुये उसके द्वारा अपनी विवाहित पत्नी के भरण पोषण करने में उपेक्षा करना प्रकट होता है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों तथा उभयपक्षों के सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अप्रार्थी के दायित्व एवं उसके आय के स्त्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

–आदेश–

10. जहां तक भरण पोषण की राशि का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Smt. Jasbir Kaur Sehgal vs The District Judge Dehradun & Ors AIR 1997 SC 3397** से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि,

"No set formula can be laid for fixing the amount of maintenance. It has, in very nature of things, to depend on the facts and circumstance of each case. Some scope for liverage can, however, be always there. Court has to consider the status of the parties, their respective needs, capacity of the husband to pay having regard to his reasonable expenses for his own maintenance and those; he is obliged under the law and statutory but involuntary payments or deductions. Amount of maintenance fixed for the wife should be such as she can live in reasonable comfort considering her status and the mode of life she was used to when she lived with her husband and also that she does not feel handicapped in the prosecution of her case. At the same time, the amount so fixed cannot be excessive or extortionate."

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भरण–पोषण की राशि हेतु प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को देखना आवश्यक है। न्यायालय को पक्षकारों का स्टेटस, उनकी जरूरत, पति की सक्षमता को ध्यान रखते हुये उसके खुद का तथा उसके परिवार वालों का भरण पोषण का भी ध्यान रखना होता है। न्यायालय को यह भी देखना है कि पत्नी उसी तरह से अपना जीवन यापन करे अगर वह अपने पति के साथ रह रही होती। राशि अत्यधिक व अकारण वाली नहीं होनी चाहिये जिससे पति को अनावश्क कष्ट कारित हो साथ ही ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पत्नी को किसी प्रकार का अभाव हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत भरण पोषण विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी **धर्मपाल** को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीया **टीना** को स्वयं के भरण पोषण के लिये राशि **3000/– रूपये (अक्षरे तीन हजार रूपये)** मासिक बतौर भरण पोषण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 03.08.2023 से अदा करेगा। भरण पोषण राशि हर माह के लिये उस माह की प्रथम तारीख पर पर उपगत

होगी जो आगामी माह की 07 तारीख तक अदा की जावेगी। चूंकि प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2023 को प्रस्तुत किया गया है। अतः माह अगस्त, 2023 की राशि दिनांक 03.08.2023 को ही उपगत मानी जावेगी। अप्रार्थी **माह अगस्त, 2023 से माह जुलाई, 2026 तक कुल 36 माह की राशि 108000/– (अक्षरे एक लाख आठ हजार रूपये)** इस आदेश की दिनांक से **छः माह** में भुगतान करेगा। इस बाबत प्रार्थीया अपने बैंक खाते का विवरण अप्रार्थी को जरिये पंजीकृत डाक से सूचित करेगी। अप्रार्थी प्रोर्थीया के बैंक खाते में उक्त राशि जमा करेगा। यदि किसी भी विधिक प्रावधान के अनुसार प्रार्थीया द्वारा भरण पोषण के पेटे कोई राशि अप्रार्थी से प्राप्त की जाती है तो उक्त राशि इस राशि में समायोजन के योग्य होगी और अप्रार्थी का दायित्व सभी आदेशों में से अधिकतम राशि के आदेश के अनुसार अदायगी का रहेगा। मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अंतरिम राशि के रूप में यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को किसी राशि का भुगतान किया गया है तो उक्त राशि मूल आदेश की बकाया राशि में समायोजन योग्य रहेगी।

11. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

(सतीश फानिन)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
जिला झुंझुनूं, राजस्थान

12. आदेश आज दिनांक **17 जुलाई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सतीश फानिन)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
जिला झुंझुनूं, राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.20 11:23:01 IST